राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 197 दिसम्बर 2015 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल किशोर अपराधी की रिहाई के कुछ दिनों में, जिसके बाद देश भर में जनाक्रोश हुआ था, संसद ने किशोर न्याय विधेयक 2015 को पारित किया जिसमें किशोरों की आयु नृशंस अपराधों के मामलों में वर्तमान 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष कर दी गई। तीन वर्ष पूर्व, दिल्ली में एक विद्यार्थी पर पाशविक यौन आक्रमण से किशोर अपराधियों के लिए कठोरतम दंड देने की अभूतपूर्व मांग उठी।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार, हत्या, डकैती और एसिड हमले जैसे अपराधों को, जिनमें सात वर्ष या अधिक समय का कारावास मिलता है, 'नृशंस अपराध' परिभाषित किया जाता है। वर्तमान विधेयक के अनुसार ऐसे अपराधों के किशोर आरोपियों पर वयस्क के समान मुकदमा चलाया जायेगा और उन्हें सात वर्ष का अधिकतम कारावास मिल सकता है परन्तु उन्हें आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा।

तथापि किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक मामले पर निर्णय देगा कि क्या अल्पवयस्क पर किशोर न्याय अधिनियम अथवा सामान्य ट्रायल कोर्ट में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। संयोग से, 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार में शामिल किशोर, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह औरों की तुलना में सबसे अधिक नृशंस था, सुधार गृह में दो वर्ष

चर्चा में **किशोर न्याय विधेयक, 2015**

से कुछ अधिक समय तक रहा जबकि उसके साथी अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा मिली है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किशोर अथवा अल्पवयस्क, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, बड़े पैमाने पर अपराध कर रहे हैं। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार किशोरों के विरुद्ध मामलों में पिछले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जो 2012 में 31,975; 2013 में 35,861 और 2014 में 38,565 थी।

यहां यह कहना सुसंगत होगा कि सात महीने पूर्व, उच्चतम न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने केन्द्र से कहा था कि वह 'अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को पुनः देखे, पुनः जांच करे और पुनः समीक्षा करे।' बेंच ने कहा कि 'यह विश्वास करना अत्यन्त कठिन है कि किशोरों को बलात्कार, डकैती और हत्या करते समय इनके परिणामों के बारे में पता नहीं होता है।'

विश्व के अनेक देशों में भी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में किशोरों पर, जिन्होंने नृशंस अपराध किए हैं, मुकदमा चलाने के लिए पृथक न्यायालय हैं। किशोरों की आयु कम करने से बदले हुए भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखा जाएगा जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। तथापि, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोरों से सम्बद्ध मामलों को संवेदनशीलता के साथ निबटाना चाहिए जो उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार हो और न कि उनकी आयु के आधार पर हो।

महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी महिला का 'स्त्रीधन' पर अभिन्न अधिकार होता है और वह अपने पति से अलग होने के बाद भी उस पर दावा कर सकती है। एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'स्त्रीधन' से इंकार करने पर इसे घरेलु हिंसा माना जाएगा जिसमें उसके पति और सास-ससुर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 'स्त्रीधन' से तात्पर्य उन सभी बहुमूल्य - चल और अचल सम्पत्ति - उपहार और अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त, जो महिला को उसके जीवनकाल में मिलते हैं, से है। इसमें वे भी शामिल हैं जो उसे विवाह से पूर्व, विवाह के समय और उसके बच्चे अथवा बच्चों के जन्म के दौरान मिलते हैं।
- शीघ्र ही, सभी सेल फोनों को संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता देने के लिए पेनिक बटन से लैस किया जाएगा। वर्तमान और नए सेल फोनों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यदि कोई महिला संकट में है तो वह सेल फोन पर बटन को दबा सकती है और उसे तुरन्त मदद मिलेगी।
- उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसिड हमले से पीड़ितों को निःशक्त व्यक्तियों के समान मानने पर विचार करने को कहा है जिससे उन्हें भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।
- मुम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि यह महिलाओं का हक है कि उन्हें मानव गरिमा के साथ रहने के उनके अधिकार के अनुसार घर से बाहर सभी सुविधाजनक स्थानों पर बेहतर शौचालय का उपयोग करने का अधिकार मिले। न्यायालय ने महाराष्ट्र में नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 'सड़कों पर चलने वाली महिलाओं के लिए शौचालय, रेस्टरूम का निर्माण करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाए' और उपयुक्त स्थानों जैसे पास के बगीचे, बस स्टाप, रिक्शा और टैक्सी स्टैंड, भीड़-भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, सरकारी और म्यूनिसिपल कार्यालयों की पहचान करें जहाँ पानी और बिजली की नियमित सप्लाई है।

महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस शोध और विकास ब्यूरो के साथ सहयोग से नई दिल्ली में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जांच करने में महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण में विशेष जोर दिया गया।

सदस्या सचिव प्रीति मदान, सुश्री निर्मल कौर, आई.जी., बी.पी.आर. एण्ड डी., राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और श्री राधाकृष्णन किनी, विशेष डी.जी. बी.पी.आर. एण्ड डी. उद्घाटन सत्र में

उद्घाटन भाषण देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने जोर देकर कहा कि पिछले 10-15 वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को होने वाली समस्याओं के बारे में बोला जैसे अपर्याप्त पुलिस बल, राजनीतिक हस्तक्षेप, परामर्शदात्री सुविधाओं की कमी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की जानकारी और जांच कुशलता में वृद्धि करना है क्योंकि किसी मामले को मजबूत बनाने के लिए सबूत का उपयुक्त संग्रहण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुआ जिसमें सम-सामयिक समाज में महिलाओं का दर्जा; फोरेंसिक साइंस और अपराध जांच; अपराधिक संशोधन अधिनियम 2013; फोरेंसिक मेडीकेयर और पोस्टमार्टम परीक्षा आदि पर चर्चा हुई। चर्चा से उठने वाली सिफारिशों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

कार्यक्रम में भाग लेती हुई महिला पुलिस अधिकारी

निःशक्त महिलाओं पर परामर्श सत्र

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में निःशक्त महिलाओं पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। श्री लव वर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया।

विश्व के अनेक भागों में निःशक्त व्यक्तियों को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है और आधारभूत सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है जिसमें शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास सुविधाएं आदि शामिल हैं। यद्यपि नीति स्तर पर, प्रगतिशील कानून, स्कीम और प्रावधान विद्यमान हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी परिवार पर होती है न कि समुदाय पर। उस संदर्भ में परामर्श सत्र में निःशक्त महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा बनाने और व्यवहारिक हस्तक्षेप पर चर्चा हुई और इसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई।

परामर्श सत्र में (बाएं से) सदस्या लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य आलोक रावत, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, श्री लव वर्मा और सदस्या सचिव प्रीति मदान

दिसम्बर, 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखित और ऑन लाइन में प्राप्त शिकायतें

माह दिसम्बर, 2015	अथ शेष (पिछले माह का लंबित)	प्राप्त शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	कार्यवाही हेतु लंबित मामले
लिखित में	शून्य	1609	1442	167
ऑनलाइन	शून्य	144	137	7
बंद मामले	लिखित में - 320	ऑनलाइन - 41		

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिसम्बर, 2015 में 19 स्वतः मामले लिए।

महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक व्यापार समिट के भाग के रूप में 'महिला उद्यमशीलता : बढ़ते कदम' के सत्र के दौरान विशेष भाषण दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

भाषण के दौरान, उन्होंने धन की कमी, स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों की कमी, प्रशिक्षण और परामर्शदात्री सेवा तक पहुंच न होना, बच्चों की देखरेख की सुविधाओं की कमी, नेटवर्किंग अवसरों की कमी और प्रौद्योगिकी तक अपर्याप्त पहुंच, आदि जैसे मुद्दों को उठाया।

श्रीमती कुमारमंगलम महिलाओं के विरुद्ध व्यापक हिंसा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में पुरुषों को प्राथमिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बोली। उन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि बराबरी के अवसर प्रदान करने और महिला उद्यमियों को इन अवसरों तक पहुंच में सहायता करने के लिए तीव्र गति से मानसिक धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अन्य प्रमुख वक्ताओं ने महिला उद्यमशीलता की विशिष्ट विभिन्न चुनौतियां और अवसर, डिजीटल संबद्ध विश्व में महिला उद्यमशीलता के लिए संभावना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं के भाग में वृद्धि करने के लिए आवश्यक नीति सुधारों पर बोला।

दलित और आदिवासी संगठन का सम्मेलन

राष्ट्रीय दलित आदिवासी संगठनों के परिसंघ ने नई दिल्ली में 'भारत का बदलाव और सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना : सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों के दांव को मजबूत बनाना' पर 12वें अखिल भारतीय दलित आदिवासी संगठनों के सम्मेलन का आयोजन किया। 25 से अधिक राज्यों से सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के 700 से अधिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत के सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के विभिन्न विकास मुद्दों और नीतियों, विशेषकर वहनीय विकास लक्ष्यों के संदर्भ में विचार-विमर्श हुआ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम सम्मेलन में भाषण करती हुई

महिला सांख्यिकी के आंकड़ों में अंतर पर कार्यशाला

सांख्यिकी और अधिकारिता मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला और यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से 'महिला सांख्यिकी के आंकड़ों में अंतर' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (दाहिने से दूसरी) पैनल के अन्य वक्ताओं के साथ

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है 'क्योंकि हमारी सामाजिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, महिला अधिकारिता का संचालन, पुरुष प्रधान व्यवस्था का संस्थागत स्वरूप जो महिलाओं के बोझिल कामों को बढ़ाता है, के कारण उनकी अपने अधिकार, परिसंपत्ति, सूचना और प्रौद्योगिकी तक कोई पहुंच नहीं है।'

सदस्यों के दौरे

सदस्या रेखा शर्मा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के साथ

❖ सदस्या रेखा शर्मा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से दिल्ली में आयोजित एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। वह आपराधिक, निजी और संवैधानिक कानूनों, प्रजनन अधिकारों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर बोली। ● श्रीमती शर्मा फैकल्टी ऑफ लॉ, एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा नौएडा में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई। ● बनारस में अपने दौरे के दौरान सदस्या ने राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों के बारे में वाराणसी के एस.पी. और डी.एम. और सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकार के साथ चर्चा की। वह विधवा आश्रम और नारी निकेतन के संवासियों के साथ बातचीत करने के लिए वहां गई। ● श्रीमती शर्मा मानव अधिकार मिशन द्वारा दिल्ली में आयोजित मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ● श्रीमती शर्मा यह जांच करने के लिए इलाहाबाद सरकारी अस्पताल गई कि अस्पताल में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और वह राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त अनेक शिकायतों पर चर्चा करने के लिए सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकार से भी मिली। ● सदस्या चंडीगढ़ गई और विभिन्न महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्री, महिला और बाल विकास और अपर मुख्य सचिव से मिली। ● श्रीमती शर्मा मानसिक रूप से मंद रोगियों से मिलने एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बैंगलुरु के एक टीम के साथ कालीकट में मनोरोगी अस्पताल गई। उन्होंने महसूस किया कि अस्पताल को बेहतर आधारभूत सुविधाओं और अधिक स्टाफ की आवश्यकता है।

सदस्या सुषमा साहू रिजर्व बैंक कर्मचारियों को संबोधित करती हुई

❖ सदस्या सुषमा साहू पुलिस को प्राप्त शिकायतों की स्थिति और यह जानने के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, पर चर्चा करने के लिए डी.जी.पी. महाराष्ट्र और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिली। उन्होंने राज्य महिला आयोग के लिए एक अध्यक्षा नामांकित करने के लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया। ● सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त कुछ मामलों के संबंध में जांच करने के लिए पुणे गई। अपने दौरे के दौरान वह पुणे पुलिस आयुक्त, संबंधित पुलिस अधिकारी और पीड़िताओं से भी मिली। बाद में, वह पिंपरी गई और 'महिलाओं के अधिकार और कर्त्तव्य' पर एक कार्यशाला में उपस्थित हुई। ● श्रीमती साहू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पटना में 'महिलाओं के प्रति जागरूकता और कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना को रोका जाना' पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित हुई। सदस्या पटना में 'हीमोफीलिया ईस्ट जोन वुमैन कांफ्रेंस' में मुख्य अतिथि थी।

❖ सदस्या लालडिंगलियानी साइलो ने टी.वी. सीरियलों में महिलाओं का प्रतिगामी चित्रण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बी.सी.सी.सी. कार्यालय में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के साथ बैठक की। ● श्रीमती साइलो एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानसिक रूप से मंद रोगियों से मिलने पुणे में यरवदा के रीजनल मेंटल अस्पताल गई। उन्होंने रोगियों और उनके परिवारों और सेवा प्रदाताओं से बातचीत की और अस्पताल की बुनियादी और काम करने की सुविधाओं की समीक्षा की। ● उन्होंने दो महिलाओं द्वारा दायर यौन प्रताड़ना की शिकायतों के संबंध में बनारस हिंदु विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में सुनवाई की।

❖ सदस्य आलोक रावत ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विकलांग महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों पर आयोजित एक परामर्श बैठक में भाग लिया। ● सदस्य टी.आई.एस.एस., मुम्बई द्वारा 'पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों को अधिकार देना' पर प्रस्तुत कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मॉड्यूल में सुधार करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। ● सदस्य जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा नई दिल्ली में महिला संबंधित कानूनों पर आयोजित कानून जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ● सदस्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टाफ और अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय मैनुअल में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यालय में बाधा रहित प्रक्रिया कार्य पर पुनश्चर्या लैक्चर दिया। ● सदस्य 'बिहार में सुपाल जिले के गांवों में महिला साक्षरता का प्रभाव' पर शोध अध्ययन की प्रस्तुति में उपस्थित हुए। ● सदस्य ने असम राज्य महिला आयोग और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ असम में सोनितपुर जिले में पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने पर चर्चा की।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।

राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 197 दिसम्बर 2015

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल किशोर अपराधी की रिहाई के कुछ दिनों में, जिसके बाद देश भर में जनाक्रोश हुआ था, संसद ने किशोर न्याय विधेयक 2015 को पारित किया जिसमें किशोरों की आयु नृशंस अपराधों के मामलों में वर्तमान 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष कर दी गई। तीन वर्ष पूर्व, दिल्ली में एक विद्यार्थी पर पाशविक यौन आक्रमण से किशोर अपराधियों के लिए कठोरतम दंड देने की अभूतपूर्व मांग उठी।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार, हत्या, डकैती और एसिड हमले जैसे अपराधों को, जिनमें सात वर्ष या अधिक समय का कारावास मिलता है, 'नृशंस अपराध' परिभाषित किया जाता है। वर्तमान विधेयक के अनुसार ऐसे अपराधों के किशोर आरोपियों पर वयस्क के समान मुकदमा चलाया जायेगा और उन्हें सात वर्ष का अधिकतम कारावास मिल सकता है परन्तु उन्हें आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा।

तथापि किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक मामले पर निर्णय देगा कि क्या अल्पवयस्क पर किशोर न्याय अधिनियम अथवा सामान्य ट्रायल कोर्ट में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। संयोग से, 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार में शामिल किशोर, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह औरों की तुलना में सबसे अधिक नृशंस था, सुधार गृह में दो वर्ष

चर्चा में किशोर न्याय विधेयक, 2015

से कुछ अधिक समय तक रहा जबकि उसके साथी अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा मिली है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किशोर अथवा अल्पवयस्क, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, बड़े पैमाने पर अपराध कर रहे हैं। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार किशोरों के विरुद्ध मामलों में पिछले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जो 2012 में 31,973; 2013 में 35,861 और 2014 में 38,565 थी।

यहां यह कहना सुसंगत होगा कि सात महीने पूर्व, उच्चतम न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने केन्द्र से कहा था कि वह 'अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को पुनः देखे, पुनः जांच करे और पुनः समीक्षा करे।' बेंच ने कहा कि 'यह विश्वास करना अत्यन्त कठिन है कि किशोरों को बलात्कार, डकैती और हत्या करते समय इनके परिणामों के बारे में पता नहीं होता है।'

विश्व के अनेक देशों में भी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में किशोरों पर, जिन्होंने नृशंस अपराध किए हैं, मुकदमा चलाने के लिए पृथक न्यायालय हैं। किशोरों की आयु कम करने से बदले हुए भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखा जाएगा जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। तथापि, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोरों से सम्बद्ध मामलों को संवेदनशीलता के साथ निबटाना चाहिए जो उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार हो और न कि उनकी आयु के आधार पर हो।

महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी महिला का 'स्त्रीधन' पर अभिन्न अधिकार होता है और वह अपने पति से अलग होने के बाद भी उस पर दावा कर सकती है। एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'स्त्रीधन' से इंकार करने पर इसे घरेलु हिंसा माना जाएगा जिसमें उसके पति और सास-ससुर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 'स्त्रीधन' से तात्पर्य उन सभी बहुमूल्य - चल और अचल सम्पत्ति - उपहार और अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त, जो महिला को उसके जीवनकाल में मिलते हैं, से है। इसमें वे भी शामिल हैं जो उसे विवाह से पूर्व, विवाह के समय और उसके बच्चे अथवा बच्चों के जन्म के दौरान मिलते हैं।
- शीघ्र ही, सभी सेल फोनों को संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता देने के लिए पेनिक बटन से लैस किया जाएगा। वर्तमान और नए सेल फोनों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यदि कोई महिला संकट में है तो वह सेल फोन पर बटन को दबा सकती है और उसे तुरन्त मदद मिलेगी।
- उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसिड हमले से पीड़ितों को निःशक्त व्यक्तियों के समान मानने पर विचार करने को कहा है जिससे उन्हें भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।
- मुम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि यह महिलाओं का हक है कि उन्हें मानव गरिमा के साथ रहने के उनके अधिकार के अनुसार घर से बाहर सभी सुविधाजनक स्थानों पर बेहतर शौचालय का उपयोग करने का अधिकार मिले। न्यायालय ने महाराष्ट्र में नगर निगमों को निदेश दिया है कि वे 'सड़कों पर चलने वाली महिलाओं के लिए शौचालय, रेस्टरूम का निर्माण करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं' और उपयुक्त स्थानों जैसे पास के बगीचे, बस स्टाप, रिक्शा और टैक्सी स्टैंड, भीड़-भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, सरकारी और म्यूनिसिपल कार्यालयों की पहचान करें जहाँ पानी और बिजली की नियमित सप्लाई है।

महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस शोध और विकास ब्यूरो के साथ सहयोग से नई दिल्ली में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जांच करने में महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण में विशेष जोर दिया गया।

सदस्या सचिव प्रीति मदान, सुश्री निर्मल कौर, आई.जी., बी.पी.आर. एण्ड डी., राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और श्री राधाकृष्णन कीनी, विशेष डी.जी. बी.पी.आर. एण्ड डी. उद्घाटन सत्र में

उद्घाटन भाषण देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने जोर देकर कहा कि पिछले 10-15 वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को होने वाली समस्याओं के बारे में बोला जैसे अपर्याप्त पुलिस बल, राजनीतिक हस्तक्षेप, परामर्शदात्री सुविधाओं की कमी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की जानकारी और जांच कुशलता में वृद्धि करना है क्योंकि किसी मामले को मजबूत बनाने के लिए सबूत का उपयुक्त संग्रहण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुआ जिसमें सम-सामयिक समाज में महिलाओं का दर्जा; फोरेंसिक साइंस और अपराध जांच; अपराधिक संशोधन अधिनियम 2013; फोरेंसिक मेडीकेयर और पोस्टमार्टम परीक्षा आदि पर चर्चा हुई। चर्चा से उठने वाली सिफारिशों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

कार्यक्रम में भाग लेती हुई महिला पुलिस अधिकारी

निःशक्त महिलाओं पर परामर्श सत्र

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में निःशक्त महिलाओं पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। श्री लव वर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया।

परामर्श सत्र में (बाएं से) सदस्या लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य आलोक रावत, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, श्री लव वर्मा और सदस्या सचिव प्रीति मदान

विश्व के अनेक भागों में निःशक्त व्यक्तियों को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है और आधारभूत सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है जिसमें शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास सुविधाएं आदि शामिल हैं। यद्यपि नीति स्तर पर, प्रगतिशील कानून, स्कीम और प्रावधान विद्यमान हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी परिवार पर होती है न कि समुदाय पर। उस संदर्भ में परामर्श सत्र में निःशक्त महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा बनाने और व्यवहारिक हस्तक्षेप पर चर्चा हुई और इसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई।

दिसम्बर, 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखित और ऑन लाइन में प्राप्त शिकायतें

माह दिसम्बर, 2015	अथ शेष (पिछले माह का लंबित)	प्राप्त शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	कार्यवाही हेतु लंबित मामले
लिखित में	शून्य	1609	1442	167
ऑनलाइन	शून्य	144	137	7
बंद मामले	लिखित में - 320	ऑनलाइन - 41		

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिसम्बर, 2015 में 19 स्वतः मामले लिए।

महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक व्यापार समिट के भाग के रूप में 'महिला उद्यमशीलता : बढ़ते कदम' के सत्र के दौरान विशेष भाषण दिया।

भाषण के दौरान, उन्होंने धन की कमी, स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों की कमी, प्रशिक्षण और परामर्शदात्री सेवा तक पहुंच न होना, बच्चों की देखरेख की सुविधाओं की कमी, नेटवर्किंग अवसरों की कमी और प्रौद्योगिकी तक अपर्याप्त पहुंच, आदि जैसे मुद्दों को उठाया।

श्रीमती कुमारमंगलम महिलाओं के विरुद्ध व्यापक हिंसा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में पुरुषों को प्राथमिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बोली। उन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि बराबरी के अवसर प्रदान करने और महिला उद्यमियों को इन अवसरों तक पहुंच में सहायता करने के लिए तीव्र गति से मानसिक धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अन्य प्रमुख वक्ताओं ने महिला उद्यमशीलता की विशिष्ट विभिन्न चुनौतियां और अवसर, डिजीटल संबद्ध विश्व में महिला उद्यमशीलता के लिए संभावना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं के भाग में वृद्धि करने के लिए आवश्यक नीति सुधारों पर बोला।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

दलित और आदिवासी संगठन का सम्मेलन

राष्ट्रीय दलित आदिवासी संगठनों के परिसंघ ने नई दिल्ली में 'भारत का बदलाव और सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना : सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों के दांव को मजबूत बनाना' पर 12वें अखिल भारतीय दलित आदिवासी संगठनों के सम्मेलन का आयोजन किया। 25 से अधिक राज्यों से सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के 700 से अधिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत के सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों के विभिन्न विकास मुद्दों और नीतियों, विशेषकर वहनीय विकास लक्ष्यों के संदर्भ में विचार-विमर्श हुआ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम सम्मेलन में भाषण करती हुई

महिला सांख्यिकी के आंकड़ों में अंतर पर कार्यशाला

सांख्यिकी और अधिकारिता मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला और यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से 'महिला सांख्यिकी के आंकड़ों में अंतर' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है 'क्योंकि हमारी सामाजिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, महिला अधिकारिता का संचालन, पुरुष प्रधान व्यवस्था का संस्थागत स्वरूप जो महिलाओं के बोझिल कामों को बढ़ाता है, के कारण उनकी अपने अधिकार, परिसंपत्ति, सूचना और प्रौद्योगिकी तक कोई पहुंच नहीं है।'

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (दाहिने से दूसरी) पैनल के अन्य वक्ताओं के साथ

सदस्यों के दौरे

सदस्या रेखा शर्मा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के साथ

❖ सदस्या रेखा शर्मा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से दिल्ली में आयोजित एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। वह आपराधिक, निजी और संवैधानिक कानूनों, प्रजनन अधिकारों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर बोली। ● श्रीमती शर्मा फैकल्टी ऑफ लॉ, एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा नोएडा में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई। ● बनारस में अपने दौरे के दौरान सदस्या ने राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों के बारे में वाराणसी के एस.पी. और डी.एम. और सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकार के साथ चर्चा की। वह विधवा आश्रम और नारी निकेतन के संवासियों के साथ बातचीत करने के लिए वहां गई। ● श्रीमती शर्मा मानव अधिकार मिशन द्वारा दिल्ली में आयोजित मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ● श्रीमती शर्मा यह जांच करने के लिए इलाहाबाद सरकारी अस्पताल गई कि अस्पताल में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और वह राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त अनेक शिकायतों पर चर्चा करने के लिए सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकार से भी मिली। ● सदस्या चंडीगढ़ गई और विभिन्न महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्री, महिला और बाल विकास और अपर मुख्य सचिव से मिली। ● श्रीमती शर्मा मानसिक रूप से मंद रोगियों से मिलने एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बैंगलुरु के एक टीम के साथ कालीकट में मनोरोगी अस्पताल गई। उन्होंने महसूस किया कि अस्पताल को बेहतर आधारभूत सुविधाओं और अधिक स्टाफ की आवश्यकता है।

सदस्या सुषमा साहू रिजर्व बैंक कर्मचारियों को संबोधित करती हुई

❖ सदस्या सुषमा साहू पुलिस को प्राप्त शिकायतों की स्थिति और यह जानने के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, पर चर्चा करने के लिए डी.जी.पी. महाराष्ट्र और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिली। उन्होंने राज्य महिला आयोग के लिए एक अध्यक्षा नामांकित करने के लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया। ● सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त कुछ मामलों के संबंध में जांच करने के लिए पुणे गई। अपने दौरे के दौरान वह पुणे पुलिस आयुक्त, संबंधित पुलिस अधिकारी और पीड़िताओं से भी मिली। बाद में, वह पिंपरी गई और 'महिलाओं के अधिकार और कर्त्तव्य' पर एक कार्यशाला में उपस्थित हुई। ● श्रीमती साहू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पटना में 'महिलाओं के प्रति जागरूकता और कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना को रोका जाना' पर आयोजित सेमिलार में उपस्थित हुई। सदस्या पटना में 'हीमोफीलिया ईस्ट जोन वुमैन कांफ्रेंस' में मुख्य अतिथि थी।

❖ सदस्या लालडिंगलियानी साइलो ने टी.वी. सीरियलों में महिलाओं का प्रतिगामी चित्रण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बी.सी.सी.सी. कार्यालय में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के साथ बैठक की। ● श्रीमती साइलो एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानसिक रूप से मंद रोगियों से मिलने पुणे में यरवदा के रीजनल मेंटल अस्पताल गई। उन्होंने रोगियों और उनके परिवारों और सेवा प्रदाताओं से बातचीत की और अस्पताल की बुनियादी और काम करने की सुविधाओं की समीक्षा की। ● उन्होंने दो महिलाओं द्वारा दायर यौन प्रताड़ना की शिकायतों के संबंध में बनारस हिंदु विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में सुनवाई की।

❖ सदस्य आलोक रावत ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विकलांग महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों पर आयोजित एक परामर्श बैठक में भाग लिया। ● सदस्य टी.आई.एस.एस., मुम्बई द्वारा 'पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों को अधिकार देना' पर प्रस्तुत कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मॉड्यूल में सुधार करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। ● सदस्य जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा नई दिल्ली में महिला संबंधित कानूनों पर आयोजित कानून जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ● सदस्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टाफ और अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय मैनुअल में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यालय में बाधा रहित प्रक्रिया कार्य पर पुनश्चर्या लैक्चर दिया। ● सदस्य 'बिहार में सुपाल जिले के गांवों में महिला साक्षरता का प्रभाव' पर शोध अध्ययन की प्रस्तुति में उपस्थित हुए। ● सदस्य ने असम राज्य महिला आयोग और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज के साथ असम में सोनितपुर जिले में पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने पर चर्चा की।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।